कार्यालय जनपद न्यायाधीश –पीलीभीत।

आदेश संख्या– 07/2024 दिनांकित: जनवरी 10, 2024

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2024 के (अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयोग हेतु) कैलेण्डर में टिप्पणी कम संख्या 3 पर जनपद न्यायालय पीलीभीत में 05 दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा घोषित स्थानीय अवकाशों एवं बार संघों द्वारा स्थानीय व अतिरिक्त अवकाश के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव दिनांकित 08.01.2024 का अवलोकन किया।

उपरोक्त अवलोकन उपरान्त, कैलेण्डर वर्ष 2024 में निम्नलिखित 05 स्थानीय अवकाश जनपद न्यायालय, पीलीभीत, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर हेतु घोषित किये जाते हैं:–

कम सं0	दिनांक	दिन	पर्व/त्यौहार का नाम
1	17.01.2024	बुधवार	श्री गुरू गोविंद सिंह जयन्ती
2	14.02.2024	बुधवार	बसंत पंचमी
3	26.03.2024	मंगलवार	होली/चैत्र प्रतिप्रदा
4	19.08.2024	सोमवार	रक्षाबन्धन
5	16.09.2024	सोमवार	ईद-ए-मिलाद/बारावफात

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2024 के (अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयोग हेतु) कैलेण्डर में टिप्पणी कम संख्या 7 के अनुपालन में, तीन अवकाश (होली–24 मार्च, दशहरा–13 अक्टूबर तथा दिनांक 29.12.2024 शीतकालीन अवकाश) जो रविवार को पड़ रहे हैं, उनके एवज में निम्न अतिरिक्त अवकाश जनपद न्यायालय, पीलीभीत, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर हेतु घोषित किये जाते हैं:–

कम सं0	दिनांक	दिन	पर्व/त्यौहार का नाम	टिप्पणी
1	23.05.2024	गुरूवार	बुद्ध पूर्णिमा	होली अवकाश दिनांक 24.03.2024 रविवार में पड़ने के कारण
2	31.10.2024	गुरूवार	नरक चतुर्दशी/दीपावली	दशहरा अवकाश दिनांक 13.10.2024 रविवार में पड़ने के कारण
3	15.11.2024	शुक्रवार	कार्तिक पूर्णिमा/गंगास्नान	शीतकालीन अवकाश दिनांक 29.12.2024 रविवार में पड़ने के कारण

उपरोक्त घोषित अवकाश सहित चतुर्थ शनिवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2024 में जनपद न्यायालय, पीलीभीत में कार्यदिवस 265 से अधिक रहेंगे।

तदनुसार आदेश की प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, एम0ए0सी0टी0, समस्त न्यायालयों, बाह्य न्यायालय, बीसलपुर एवं ग्राम न्यायालय, पूरनपुर व समस्त अनुभागों को सूचनार्थ, समस्त बार संघों, नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को आधिकारिक बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु, केंन्द्रीय नजिर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु एवं जिला सूचना अधिकारी को समाचार–पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

समस्त सम्बन्धित अनुपालनार्थ सूचित हों।

10.01.2024

दिनांकित: जनवरी 10, 2024

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा),
जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत